



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2761392/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

Email: mpagrohobpl@gmail.com

**आर सी ओ क्रमांक उद्यान/2021-22 / 2**

वर्ष 2021-22 एवं आगे के लिये  
टिशू कल्चर पौधों के प्रदाय हेतु  
रेट कान्ट्रेक्ट आफर

दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 22.07.2021

अपरान्ह 2 बजे तक

प्रबंधक (उद्यान)



दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2021-22/1276

भोपाल,दिनांक 01 जुलाई 2021

### रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर सी ओ) सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2021-22 एवं आगे के लिये निगम द्वारा निम्नानुसार सामग्रियों के लिये रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किये जाते है :

आर सी ओ क्रमांक	सामग्री का नाम	आर सी ओ प्रपत्र का मूल्य (जीएसटी सहित)	संकल्प धन राशि
उद्यान/2021-22/2	टिशू कल्चर पौधों के प्रदाय हेतु	रु 5900 /..	रु 1,00,000 /..

आर.सी.ओ. में निर्दिष्ट आर्हताएं पूर्ण करने वाले उत्पादक/प्रदायक से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 22.07.2021 को अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) तथा निगम की वेबसाईट <http://mpagro.org> पर उपलब्ध है। दस्तावेज [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से अपलोड किए जा सकेंगे तथा इसी वेबसाईट पर डाउनलोड किए जाना हैं। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

प्रबंधक (उद्यान)



दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

### रेट कान्ट्रैक्ट आफर टिश्यू कल्चर पौधों के प्रदाय हेतु

यह दस्तावेज निम्नानुसार कुल 23 पृष्ठ का है :

क्रमांक	विवरण	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	डिस्क्लेमर	परिशिष्ट 1	5
2	रेट कान्ट्रैक्ट की प्रक्रिया	परिशिष्ट 1	5
3	कार्य के अवसर	परिशिष्ट 1	5-6
4	ऑफरकर्ताओं को निर्देश	परिशिष्ट 1	6
5	ऑफर की सामान्य शर्तें	परिशिष्ट 2	7-12
6	तकनीकी योग्यता एवं दस्तावेज जो वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है एवं लिफाफा क्रमांक 1 में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारियां	परिशिष्ट 3	13
7	ऑफरकर्ताओं के लिये सामान्य निर्देश	परिशिष्ट 4	14
8	सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी की जानकारी	परिशिष्ट 5	15
9	ऑफरकर्ता की आर्हता के संबंध में	परिशिष्ट 6	16
10	वित्तीय ऑफर का प्रारूप (आन लाईन प्रस्तुत किया जाना है )	परिशिष्ट 7	17-19
11	आफरकर्ता द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप	परिशिष्ट 8	20
12	अनुबंध का प्रारूप का परिशिष्ट	परिशिष्ट 9	21
13	रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु सहमति/घोषणा पत्र	परिशिष्ट 10	22
14	ऑफरकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ट 11	23



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

रेट कान्ट्रेक्ट आफर में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार है:—

निगम	दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल
क्रयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
आवेदक/आफरकर्ता नर्सरी धारक	उत्पादक जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लिया गया हो जिनकी स्वयं की नर्सरी हो
प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो
संकल्प धनराशि (ई एम डी)	आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा की गई धरोहर राशि
धरोहर राशि	आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरुद्ध निगम को वांछित सुरक्षा निधि है तथा संकल्प धनराशि (ई एम डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।
विभाग	विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य को शासकीय विभागों से है
प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल  
**अस्वीकारणीय (Disclaimer)**

**परिशिष्ट 1**

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है इस बात की संतुष्टी आफरकर्ता स्वयं कर लेवें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तों के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वह दिनांक **15.07.2021** को **अपरान्ह 2.00** बजे तक ई-मेल के माध्यम से [mpagrohobpl@gmail.com](mailto:mpagrohobpl@gmail.com) पर भेजी जाए। प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा लिया गया निर्णय दिनांक **16.07.2021** को [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) एवं <http://mpagro.org> पर अपलोड किया जाएगा।

दिनांक **15.07.2021** को **अपरान्ह 2.00** बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर की समस्त नियमों एवं शर्तों तथा अपलोड किए गए समिति के निर्णय से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किया गया है।

**2. रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रक्रिया :**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर ई टेन्डरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

प्रक्रियाओं का विवरण	नियत दिनांक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर का डाउनलोड किया जाना	दिनांक 12.07.2021 से दिनांक 22.07.2021 अपरान्ह 1 बजे तक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तों के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति को ई-मेल के माध्यम से <a href="mailto:mpagrohobpl@gmail.com">mpagrohobpl@gmail.com</a> पर भेजने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 15.07.21 को अपरान्ह 2.00 बजे तक
प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति के निर्णय की जानकारी अपलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 16.07.2021 को अपरान्ह 2.00 बजे तक
रेट कान्ट्रेक्ट आफर वेबसाइट पर अपलोड प्रारंभ करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 22.07.2021 अपरान्ह 2 बजे से
रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति (हार्ड कॉपी) निगम के मेजेनार्इन फ्लोर स्थित निविदा बॉक्स में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 22.07.2021 अपरान्ह 5 बजे तक (संकल्प धनराशि राशि आन लाईन जमा करना है। बिना संकल्प धनराशि के किसी भी आर. सी.ओ को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा)।
वेबसाइट पर अपलोड किये गये तकनीकी दस्तावेजों को खोला जाना	दिनांक 26.07.2021 अपरान्ह 3.30 बजे
उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाना	सूचना निगम की वेबसाइट पर दी जाएगी।

**3. कार्य के अवसर :**

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में स्थित विकासखण्ड में आदानों का प्रदाय निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किया गया है।



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नहीं है। ऑफरकर्ताओं को प्रदाय आदेश में वर्णित सामग्रियों का प्रदाय आदेश में उल्लेखित स्थल तक एवं निर्धारित समय सीमा में करना आवश्यक होगा।

#### 4. आफरकर्ता को निर्देश :

सभी आफरकर्ताओं से वांछित है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ का तथा इसमें वर्णित शर्तों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करे तथा इसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, आनलाईन अपलोड करे। प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, आनलाईन अपलोड नहीं किये जाने की दशा में आफर को अमान्य किया जाएगा। अपलोड किये गये इस दस्तावेज की हार्ड (प्रिंटेड) प्रति भी आफर के साथ प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।

डिजीटल सिग्नेचर के साथ रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में दिये गये निर्देशानुसार ऑफर को वेबसाईट पर अपलोड करे। यदि ऑफरकर्ता द्वारा ऑफर अपलोड नहीं किया जाता है तथा हार्ड कापी ही प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे ऑफर को मान्य नहीं किया जाएगा।

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी पी आई के रिजाल्यूशन में जे पी जी अथवा पी डी एफ फॉर्मेट में अपलोड करे। अन्य किसी फॉर्मेट में अपलोड किये गये प्रपत्रों को मान्य नहीं किया जाएगा। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड कापी को अंतिम मान्य किया जाएगा।

वेबसाईट से डाउनलोड किये गये आर सी ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्केन कापी दिनांक **22.07.2021 अपराह्न 5 बजे तक** निगम मुख्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में प्रस्तुत करे।

सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियां कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेट वर्क आदि की समस्याओं के कारण आर.सी.ओ प्रस्तुत करने से वंचित न हों। आर.सी.ओ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय में कोई परिवर्तन सामान्यतया नहीं किया जाएगा।

प्रबंधक उद्यान



दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

## परिशिष्ट 2

दिनांक वर्ष 2021-22 एवं आगे के लिये (बिन्दु क्रमांक 3.4 एवं 13-स) अनुसार परिशिष्ट 5 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले एवं परिशिष्ट 6 के अनुसार निर्धारित आर्हताओं को पूर्ण करने वाले ऑफरकर्ताओं से परिशिष्ट क्रमांक 7 में दरें आमंत्रित की जाती है।

दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेंगी। वेबसाईट पर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी **परिशिष्ट क्रमांक 3**, ऑफरकर्ता को ऑफर प्रस्तुत करने के लिये सामान्य **निर्देश परिशिष्ट क्रमांक 4** तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों के मापदण्ड **परिशिष्ट 5** पर पर संलग्न हैं।

**रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर से संबंधित सामान्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-**

### 1. **ऑफर प्रस्तुत करने की आहर्ता**

प्रदाय के लिये ऑफरकर्ता की आर्हताएं **परिशिष्ट क्रमांक 6** अनुसार रहेंगी।

### 2. **आर सी ओ प्रपत्र का क्य**

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य **परिशिष्ट क्रमांक 5** (वापसी योग्य नहीं) है तथा निर्धारित राशि का आनलाईन भुगतान कर ऑफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से डाउनलोड कर सकेंगे

### 3. **दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्तें**

- 3.1 ऑफरकर्ता द्वारा प्रदाय हेतु दर परिशिष्ट क्रमांक 7 अनुसार दी जाना आवश्यक है।
- 3.2 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, वह 3 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी।
- 3.3 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की **शर्त क्रमांक 20** के तहत न्यूनतम होना आवश्यक है।
- 3.4 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत **अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से 31.07.2022 तक अथवा** निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, **जो भी बाद में हो, लागू रहेंगी।**
- 3.5 ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में दोनों में से न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा।

### 4. **ऑफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया**

- (अ) वेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए ऑफर के साथ अपलोड किया जाना एवं हार्ड कॉपी निगम मुख्यालय में निर्धारित समय एवं तिथि तक प्रस्तुत की जाना **आवश्यक होगी।** ई निविदा पद्धति के अन्तर्गत अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की दशा में ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति (प्रिंटेड प्रति) को अंतिम मान्य किया जाएगा।
- (ब) एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा।
- (स) रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के **परिशिष्ट क्रमांक 7** में दरें आनलाईन प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगा। **इसकी** हार्ड प्रति (प्रिंटेड प्रति) **प्रस्तुत नहीं करे।** शर्त क्रमांक 4 (इ) तथा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार सभी वांछित जानकारीयां/दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में ऑफरकर्ता के ऑफर को निरस्त किया जावेगा।
- (द) ऑफर के साथ संकल्प धन राशि के रूप में राशि परिशिष्ट क्रमांक 5 के अनुसार आन लाईन जमा करना होगी। संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत किया गया ऑफर मान्य नहीं किया जावेगा।



- दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
- (इ) प्रदाय हेतु तकनीकी विवरण "लिफाफा क्रमांक 1 में आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। लिफाफा 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजों का विवरण **परिशिष्ट क्रमांक 3** पर सलग्न है।

**आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी गलत/भ्रामक/अपूर्ण पाये जाने पर आफरकर्ता के आफर को अमान्य किया जा सकेगा।**

लिफाफे के ऊपरी भाग पर आफरकर्ता निम्नानुसार जानकारी अंकित करेगे :

1. **टिश्यू कल्चर पौधों** के प्रदाय हेतु संकल्प धन राशि एवं अन्य तकनीकी विवरण – नियत तिथि : **दिनांक 22.07.2021 को अपराह्न 5.00 बजे** के पूर्व बाक्स (जो इस कार्यालय के निगम मुख्यालय में रखा जाएगा) में प्रस्तुत किये जा सकेगे।
2. **वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाईट पर अपलोड किये जाएंगे।**

**5. सेंपल प्रस्तुत किये जाना :**

सेम्पल प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर आफरकर्ता की नर्सरी का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सेम्पल लिये जा सकेगे।

6. **सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अमान्य किया जाएगा।** आर सी ओ में वांछित दस्तावेज आनलाईन प्रस्तुत नहीं किये जाने /हार्ड प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में आफर अमान्य किया जाएगा।

**7. संकल्प धन राशि :**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि (परिशिष्ट क्रमांक 5 अनुसार होगी) आन लाईन प्रस्तुत करना आवश्यक है। संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को अमान्य किया जायेगा।

**8. संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना**

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-

1. निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।
4. निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

**9. धरोहर राशि :**

- (अ) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।
- (ब) अनुबंध की प्रभावशीलता **अवधि समाप्त होने के बाद** कोई विवाद न होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।





दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल  
(स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-

- (1) निगम आदेश के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर ।
- (2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में
- (3) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।
- (4) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

#### 10. ऑफर की वैधता :

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 180 दिवस तक मान्य रहेंगे। अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो ।

#### 11. रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना

रेट कान्ट्रेक्ट आफर जो दिनांक **22.07.2021 अपराह्न 2 बजे** तक आनलाईन प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा जिनकी हार्ड प्रति (प्रिंटेड प्रति) निगम मुख्यालय में रखे बाक्स में इसी दिन **अपराह्न 5.00 बजे** तक प्राप्त होंगी, ऐसे आफरकर्ता के तकनीकी योग्यता संबंधी लिफाफे उपस्थित आफरकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक **26.07.2021 अपराह्न 3.30 बजे** खोले जाएंगे।

परीक्षणोपरान्त योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को आफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोले जाएंगे, खोलने की दिनांक निगम की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी तथा निगम के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी । ऑफरकर्ताओं द्वारा परिशिष्ट 12 में उपलब्ध कराए गए ई-मेल एड्रेस पर भी इसकी सूचना दी जाएगी

**रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।**

#### 12. दरें स्वीकार की जाना :

- 12.1 सामान्यतः आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाएगा।
- 12.2 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें ।

#### 13. अनुबंध का निष्पादन—

- (अ) जिन आफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन आफरकर्ताओं को प्रतिप्रस्ताव दिया गया है तथा जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 9,10) में राशि रुपये 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा अनुबंध को नोटराइज कराया जाना अनिवार्य है। ऐसे आफरकर्ता जिन्हे प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नहीं है , को " प्रतिप्रस्तावित दरें स्वीकार नहीं है " बाबत सूचना निगम को ई मेल एवं हार्ड कापी के द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रेषित करना आवश्यक होगी। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में आफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अनुबंध निष्पादित करने की सूचना ऑफरकर्ता को दी जावेगी।



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

- (ब) आफरकर्ता(ओं) जिनके द्वारा प्रस्तुत दरों को निगम द्वारा स्वीकार किया गया है तथा ऐसे आफरकर्ता(ओं) द्वारा निर्धारित समय सीमा में (जो अधिकतम 7 दिवस की होगी) निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त (Forfeit) कर सकेगा ।
- (स) रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत **अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से 31.07.2022 अथवा** निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, **जो भी बाद में हो, लागू रहेगी।**
- (द) निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात **आफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा।**

#### 14. प्रदाय की प्रक्रिया –

- (अ) परिशिष्ट क्रं.-5 में वर्णित अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश जारी किये जाएंगे । प्रदाय आदेश में वर्णित निर्धारित अवधि में तथा आदेशित मात्रा के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- (ब) वांछित मात्रा में पैकिंग का कार्य क्रेता विभाग/संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (स) सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी । किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उपयोगकर्ता अर्थात् अंतिम उपभोक्ता को उनके नुकसान की नियमानुसार भरपाई भी प्रदायक करेगा।

15. **बिना आदेश** के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नहीं किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

#### 16. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा

- (अ) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय-सीमा घटाई भी जा सकती है ।
- (ब) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।
- (स) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में ऐसी सामग्री के कन्साइनमेंट को क्रेता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा।
- (द) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की धरोहर राशि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे प्रदायक द्वारा मान्य करना होगा। साथ ही निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा ।

#### 17. आदेश की प्रक्रिया :

- (अ) विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश परिशिष्ट क्रमांक 5 में उल्लेखानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।
- (ब) सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी। सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा सीधे विभाग को नहीं किया जाएगा।



दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

- (स) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में क्रेता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी तथा प्रदायक द्वारा परिवर्तित आदेश/सूचना के अनुसार आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा।
- (द) परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी।

**18. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :**

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/पैकिंग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-

- (अ) उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में।
- (ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।
- यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो इसकी सूचना प्रदायक को निगम द्वारा पत्र/दूरभाष/ई मेल के माध्यम से दी जाएगी तथा प्रदायक को स्वयं के व्यय पर निर्धारित समय सीमा में वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।

**19. भुगतान :**

निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार निगम मुख्यालय द्वारा/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने की दशा में मुख्यालय स्तर से/निगम के संबंधित जिला कार्यालयों से निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

- (अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों एवं प्रदायकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 30 दिवस में किया जावेगा।
- (ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त संतुष्टि प्रमाणपत्र की रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने पर किया जावेगा।

20. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।

21. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रैक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली-भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तों पर सहमत हैं।



दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

22. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 3 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
23. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।
24. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य-दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन/नर्सरी का निरीक्षण कर सकेगे।
25. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के प्रबंधक (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  - 25.1 यदि न्यायालयीन आदेश से निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त किसी अन्य को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे नियुक्त आर्बीट्रेटर की समस्त फीस ऑफरकर्ता/प्रदायकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
26. निगम के प्रबंध संचालक रेट कान्ट्रेक्ट आफर की किसी भी शर्त में अनुबंध निष्पादन के पूर्व परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र रहेगे।

प्रबंधक (उद्यान)



दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

परिशिष्ट 3

तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है तथा लिफाफा 1 में प्रस्तुत किया जाना है का विवरण

क्रमांक	विवरण
1	आफरकर्ता के पास टिशू कल्चर लेब हो तथा भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डिपार्टमेंट आफ बायोटेक्नालॉजी में टिशू कल्चर लेब का पंजीयन हो एवं आफर प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को वैध हो ।
2	नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फार टिशू कल्चर रेज्ड प्लांटस् (NCD-TCP) द्वारा लेब का एकीकरण होना चाहिये (एकीकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है) ।
3	लेब से संबंधित दस्तावेज तथा वायरस फ्री एवं जेनेटिक फिडीलिटी संबंधी टेस्ट रिपोर्ट (अद्यतन स्थिति) होना चाहिये ।
4	आफर किये गये टिशू कल्चर पौधों के मापदण्ड परिशिष्ट ।
5	टिशू कल्चर हार्डनिंग नर्सरी का पंजीयन नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत होना आवश्यक है ।
6	<b>टिशू कल्चर पौधों की वार्षिक उत्पादन क्षमता , लेब में पदस्थ बायो टेक्नालाजिस्ट एवं लेब इन्चार्ज की योग्यता संबंधी जानकारी ।</b>
7	आफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (PAN) ।
8	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 11 के अनुसार राशि रू 500/.. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग ।
9	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर सी ओ प्रपत्र आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है (पृष्ठ क्र. 1 से 27 तक तथा परिशिष्ट 2 से 12 तक ) तथा समस्त कोरिजेन्डम जो जारी किये गये हैं पर ।
10	रेट कान्ट्रेक्ट आफर में वाणिज्य वांछित दस्तावेज जिनका उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट दस्तावेज में किया गया हो ।
11	पौध प्रदाय हेतु नर्सरी एक्ट के तहत लाईसेंस प्राप्त किया हो, लाईसेंस की प्रति संलग्न करे

### वित्तीय आफर

परिशिष्ट क्रमांक 7 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर अलग से वेबसाईट पर ही आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है तथा इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है ।



दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

परिशिष्ट 4

### आफरकर्ताओं के लिये सामान्य निर्देश

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) वेबसाईट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाना एवं सील लगायी जाना तथा आनलाईन अपलोड किया जाना आवश्यक है। **रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाने एवं सील नही लगाये जाने की दशा में आफर अमान्य किया जाएगा। अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों की प्रिंटेड प्रति निर्धारित समयावधि में निगम मुख्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।**
2. परिशिष्ट क्रमांक 3 के अनुसार स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है।
3. अर्हता संबंधी **शर्त परिशिष्ट 2 की शर्त क्र. 1** तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
4. रेट कान्ट्रेक्ट आफर **परिशिष्ट 2** की शर्त क्र. 4 (द) के अनुसार संकल्प धनराशि आनलाईन जमा की जाना आवश्यक है।
5. परिशिष्ट 7 में दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। **परिशिष्ट 7 की प्रिंटेड प्रति प्रस्तुत नही करे।**
6. निर्धारित दिनांक एवं समय तक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
7. सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएंगे।



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

परिशिष्ट क्रमांक 5

सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी की जानकारी

टिशू कल्चर पौधों के मापदण्ड निम्नानुसार होना आवश्यक है :

1. न्यूनतम उचाई 15 से 20 से मी
2. न्यूनतम 4 से 5 पत्तिया
3. पौधे की 10 से 12 सप्ताह की हार्डिनिंग की जाना आवश्यक है
4. पौधे बीमारी रहित पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रारंभ से ही कवकनाशी एवं पौध संरक्षण औषधियों का प्रयोग नहीं होना चाहिये

पौधों के नाम एवं किस्म निम्नानुसार है :

1	केला टिशू कल्चर	ग्रैंड 9 एवं अन्य
2	बांस टिशू कल्चर	बी वलगरिस, बी बालकोवा
3	यूकेलिप्टस / सूबबूल	आई टी सी बद्राचलम
4	अनार	भगवा, सिन्दुर, न्यू भगवा
5	जरबेरा	विभिन्न रंगों में लाल, नारंगी, पीला, गुलाबी, एवं सफेद
6	सागौन टिशू कल्चर	
7	गन्ना टिशू कल्चर	
8	कार्नेशन पौधा	विभिन्न रंगों में
9	काइसेन्थम पौधा	विभिन्न रंगों में
10	ट्यूबरोज	विभिन्न रंगों में
11	नींबू	सीडलेस
12	अमरुद	इलाहाबादी सफेदा, आई आई आर एच, पिंक अमरुद थाई अमरुद
13	सीताफल	बालासागर

2. आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य – राशि रूपये 5,900.00 (रूपए पांच हजार नौ सौ मात्र) \*

3. संकल्प धन राशि – राशि रूपए 1,00,000.00 (रूपए एक लाख मात्र) \*

\* क्रमांक 2 एवं 3 में उल्लेखित राशि आन लाईन जमा करना है तथा लिफाफे के उपर "आर.सी.ओ.क्रमांक, सामग्री का नाम एवं ऑफरकर्ता के नाम एवं पते का पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक है ।

4. आदेश जारी करने के लिए अधिकृत – क्षेत्रीय कार्यालय / मुख्यालय



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

परिशिष्ट 6

## ऑफरकर्ता की आर्हता के संबंध में

आफरकर्ता जो निम्नानुसार शर्तें पूरी करता हो, के प्रस्ताव को ही विचार क्षेत्र में रखा जावेगा :-

- (1) आफरकर्ता के पास टिश्यू कल्चर लेब हो तथा भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डिपार्टमेंट आफ बायोटेक्नालॉजी में टिश्यू कल्चर लेब का पंजीयन हो एवं आफर प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को वैध हो। लेब से संबंधित दस्तावेज तथा वायरस टेस्ट की रिपोर्ट (अद्यतन स्थिति) होना चाहिये।
- (2) ऐसे राज्य जहां पर नर्सरी एक्ट लागू है, टिश्यू कल्चर हार्डनिंग नर्सरी का पंजीयन नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत होना आवश्यक है। नर्सरी एक्ट के पंजीयन से संबंधित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाना अनिवार्य है। नर्सरी के पंजीयन नहीं होने की दशा में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (3) आफरकर्ता कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी अथवा पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के अन्तर्गत पार्टनरशिप फर्म अथवा सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी फर्म होना चाहिये। तत्संबंध में आफरकर्ता दस्तावेज प्रस्तुत करे। प्रोपायटरी फर्म होने की दशा में स्व प्रमाणित घोषणा प्रस्तुत करे।
- (4) आफरकर्ता के पास जी एस टी पंजीयन हो (दस्तावेज प्रस्तुत करे)
- (5) आफरकर्ता के पास आयकर पंजीयन PAN Number हो (दस्तावेज प्रस्तुत करे)।
- (6) आफरकर्ता का विगत 3 वर्षों में व्यवसाय 150 लाख का हो (दस्तावेज प्रस्तुत करे)।
- (7) आफरकर्ता फर्म द्वारा इस आशय की घोषणा प्रस्तुत की हो कि उनकी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है। इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
- (8) आफरकर्ता फर्म के पास NCS-TCP, Department of Bio-Technology, Govt. of India द्वारा accredited Tissue Culture Lab and Nursery by for production/hardening हो (दस्तावेज प्रस्तुत करे)
- (9) आफरकर्ता द्वारा टिश्यू कल्चर पौधों की वार्षिक उत्पादन क्षमता, लेब में पदस्थ बायोटेक्नालाजिस्ट, लेब इन्चार्ज उनकी योग्यता आदि की जानकारी प्रस्तुत की हो
- (10) आफरकर्ता द्वारा उत्पादित टिश्यू कल्चर पौधों के संबंध में वायरस फ्री एवं जेनेटिक फिडीलिटी टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की हो
- (11) आफरकर्ता द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया हो कि वे आदेशित मात्रा में टिश्यू कल्चर का प्रदाय स्वयं की लेब से करेंगे तथा प्रदाय किये जा रहे टिश्यू कल्चर पौधों की गुणवत्ता NCS-TCP द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करेंगे





दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल  
31.07.2022 एवं आगे के लिये  
वित्तीय आफर का प्रारूप (FANANCIAL OFFER)

परिशिष्ट 7

01. NAME OF THE OFFERER .....

**PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)**

Sl. No.	Item Description	VARIETY	Quantity	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST AMOUNT	TOTAL AMOUNT Without Taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	15	53	54	55
<b>Plants Grafted</b>									
1	Tissue Culture Banana	Grand 9		No					
2	Tissue Culture Banana			No					
3	Tissue Culture Banana			No					
4	Tissue Culture Banana			No					
5	Tissue Culture Bamboo	B Valgaris		No					
6	Tissue Culture Bamboo	B Balcoa		No					
7	Tissue Culture Bamboo			No					
8	Tissue Culture Bamboo			No					
9	Tissue Culture Eucalyptus	ITC		No					
10	Tissue Culture Eucalyptus	Badrachalam		No					
11	Tissue Culture Eucalyptus			No					
12	Tissue Culture Eucalyptus			No					
13	Tissue Culture Pomegranate	Bhagva		No					
14	Tissue Culture Pomegranate	Sindur		No					
15	Tissue Culture Pomegranate	New Bhagva		No					



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

16	Tissue Culture Pomegranate			No					
17	Tissue Culture Gerbera Different Colours Cut Flower varieties			No					
18	Tissue Culture Gerbera Different Colours Cut Flower varieties			No					
19	Tissue Culture Gerbera Different Colours Cut Flower varieties			No					
20	Tissue Culture Gerbera Different Colours Cut Flower varieties			No					
21	Tissue Culture Gerbera Different Colours Cut Flower varieties			No					
22	Tissue Culture Teak			No					
23	Tissue Culture Teak			No					
24	Tissue Culture Teak			No					
25	Tissue Culture Teak			No					
26	Tissue Culture Teak			No					
27	Tissue Culture Lemon	Seed less		No					
28	Tissue Culture Lemon			No					
29	Tissue Culture Lemon			No					
30	Tissue Culture Lemon			No					



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

31	Tissue Culture Guava	Allahabadi Sapheda	No					
32	Tissue Culture Guava	IIHR	No					
33	Tissue Culture Guava	Kas	No					
34	Tissue Culture Guava		No					
35	Tissue Culture Guava		No					
36	Tissue Culture Custard Apple	Bala Nagar	No					
37	Tissue Culture Custard Apple	Super Gold	No					
38	Tissue Culture Custard Apple	Sarasvati	No					
39	Tissue Culture Chrysanthemums		No					
40	Tissue Culture Chrysanthemums		No					
41	Tissue Culture Chrysanthemums		No					
42	Tissue Culture Tube rose		No					
43	Tissue Culture Tube rose		No					
44	Tissue Culture Tube rose		No					
45	Tissue Culture Sugar Cane		No					
46	Tissue Culture Sugar Cane		No					
47	Tissue Culture Sugar Cane		No					

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील



दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

**परिशिष्ट 8**

:: अनुबंध ::

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रू. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स ..... की ओर से श्री ..... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगी के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रमाणित / सत्यरूप सब्जी बीज प्रदाय हेतु दिनांक ..... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्रय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तों को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट्स अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा जिन टिशू कल्चर पौधों के प्रदाय हेतु हमारी दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट 9 पर उल्लेखित है को (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे । शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक .....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

हस्ताक्षर प्रदायक	हस्ताक्षर प्रबंधक (उद्यान)
-------------------	----------------------------

गवाह :

- 1.
- 2.





दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

परिशिष्ट-10

**वर्ष 2021-22 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से टिश्यू कल्चर पौधों के प्रदाय हेतु  
रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र**

मैं .....मेसर्स .....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ। मेसर्स .....द्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ..... के बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है। हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे। यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये ...../- एवं हमारे बिलों से कर सकता है।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है। इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

संकल्प धन राशि रूपये ...../- प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर

एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

(रूपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन  
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

परिशिष्ट क्रमांक 11

**THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION  
LIMITED**

**PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL**

**DETAILS OF THE OFFERER**

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.	
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/Person /Chairman/Managing Director	
	PHONE NO. Fax. No.	Office : Mobile : Email :
3	E mail address	
4	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. : Date :
5	GST Registration number.	
6	<b>Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum &amp; Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).</b>	
7	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker : Name of the Branch : Tel.No. : Bank Account No :
8	State whether Producer / Distributor / Dealer.	
9	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).	Yes / No.
10	<b>Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.</b>	
11	Do you have any associate company(s)?	
12	<b>Do your Directors / Partners have interest in some other Offerer/ Society. If yes, give details.</b>	
13	Is any of your relative working or serving in this Corporation in any capacity?	
14	Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Fax No. etc.	

नोट— सुस्पष्टता के लिये जानकारी टाईप करके प्रस्तुत की जाये।

Signature of Offerer